

प्रेषक,
महेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक: 30 मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला प्रशासन योजनान्तर्गत जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार के उपयोगार्थ निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला प्रशासन योजनान्तर्गत निष्प्रयोज्य वाहनो के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि में से संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार 02 इनोवा प्रतिवाहन रूपये 13,45,747.00 की दर से क्रय हेतु रू0 26,91,494.00 एवं 07 बोलैरो एल एक्स पावर प्लस वी एस आई वी प्रति वाहन रूपये 5,74,091.00 की दर से रू0 40,18,637.00 अर्थात् कुल रू0 67,10,131.00 (रूपये सरसठ लाख दस हजार एक सौ इकतीस मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नही हो रही है।
 - (2) उक्त वाहनो का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
 - (3) भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुए गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है। अतः उक्त वाहनो का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल की दरों के आधार पर किया जायेगा।
 - (4) स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वाहनो का निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत क्रय करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को एक माह में उपलब्ध कराया जाय।
 - (5) वाहन क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस अधिकारी को वाहन आवंटित किया जाना है उन्हें अन्य किसी स्रोत से कोई शासकीय वाहन आवंटित नहीं है। आवंटित वाहन उसी अधिकारी द्वारा उपयोग किया जाएगा जिस अधिकारी का वाहन निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के फलस्वरूप नये वाहन के रूप में प्रतिस्थापन किया गया है।
- 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053- जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-14 मोटर गाड़ियो का क्रय मद से किया जायेगा।
- 3- आवंटित वाहन सूक्ष्म लघु मध्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के शासनादेश संख्या 1/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014, दिनांक 22.05.2015 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार केवल अनुमन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही प्रयोग में लाया जाएगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।
- 5 -यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-505/दस-2019 दिनांक 30 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-6/435(1)/एक-4-2019-रा0-4, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ उएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- जिलाधिकारी-आगरा, मथुरा, प्रयागराज, बलरामपुर, बस्ती, आगरा, मैनपुरी।
- 4- कोषाधिकारी, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, बलरामपुर, बस्ती, आगरा, मैनपुरी।
- 5- सूक्ष्म लघु मध्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2
- 6- वित्त (व्यय नियन्त्रण)अनुभाग-5
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
- 8- राजस्व अनुभाग-6
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

परिशिष्ट-1

संख्या-6/435/2019/एक-4-2019-रा0-4, दिनांक: 30 मार्च, 2019।

जिलाधिकारी के निष्प्रयोज्य वाहन के फलस्वरूप इनोवा वाहन का आवंटन:-

क्र0	जनपद	वाहन संख्या	अनुमन्य वाहन	(स्वीकृत धनराशि)
1	2	3	4	5
1	आगरा	यू0पी0-80 ए0जी0-0100 अम्बेसडर	इनोवा	13,45,747.00
2	मथुरा	यू0पी0-85 ए0जी0-0050 अम्बेसडर	इनोवा	13,45,747.00
कुल योग				26,91,494.00

(रूपये छब्बीस लाख इक्यान्वे हजार चार सौ चौरान्वे मात्र)

उप जिलाधिकारी/तहसीलदार के निष्प्रयोज्य वाहन के फलस्वरूप बोलेरो एल एक्स पावर प्लस बी एस आई वी वाहन का आवंटन :-

क्र	जनपद/ तहसील	वाहन संख्या	अनुमन्य वाहन	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	मथुरा	यू0पी0-85ए0जी0-0017 टाटा स्पेशियो	बोलेरो एल एक्स पावर प्लस बी एस आई वी	5,74,091.00
2	मथुरा	यू0पी0-85ए0जी0-0045टाटा स्पेशियो	बोलेरो एल एक्स पावर प्लस बी एस आई वी	5,74,091.00
3	प्रयागराज	यू0पी0 70 ए0जी0/0698, टाटा स्पेशियो	बोलेरो एल एक्स पावर प्लस बी एस आई वी	5,74,091.00
4	बलरामपुर	यू0पी0-47-0070 टाटा स्पेशियो,	बोलेरो एल एक्स पावर प्लस बी एस आई वी	5,74,091.00
5	बस्ती	यू0पी0-51जी-0111 टाटा स्पेशियो	बोलेरो एल एक्स पावर प्लस बी एस आई वी	5,74,091.00
6	आगरा	यू0पी0-83जी-0238, टाटा स्पेशियो	बोलेरो एल एक्स पावर प्लस बी एस आई वी	5,74,091.00
7	मैनपुरी	यू0पी0-84जी/0053 टाटास्पेशियो	बोलेरो एल एक्स पावर प्लस बी एस आई वी	5,74,091.00
कुल योग				40,18,637.00

(रूपये चालीस लाख अट्टारह हजार छः सौ सैंतीस मात्र)

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।